न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–50/2008–09 अन्तर्गत धारा–331 जं0वि0अधि0

1– रविदत्त पुत्र जीवानन्द (मृतक), 1/1. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी स्व0 रविदत्त, 1/2. ओमप्रकाश, 1/3. लक्ष्मीप्रसाद, 1/4. गजेन्द्र प्रसाद, 1/5. बीरेन्द्र प्रसाद, 1/6. दीपक प्रसाद, 1/7. भुवनेश्वर प्रसार, 1/8. अभिषेक सभी पुत्रगण स्व0 रविदत्त, निवासी–ग्राम कुथनौर, पट्टी बजरी, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी।

बनाम

1– महेशानन्द, 2. नित्यानन्द, पुत्रगण बलीराम, निवासी–ग्राम कुथनौर, पट्टी बजरी, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री प्रेमचन्द शर्मा।
अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री रमेश दत्त उनियाल।

निर्णय

यह द्वितीय अपील अपीलकर्ता उपरोक्त ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या–19 वर्ष 1992–93 रविदत्त बनाम महेशानन्द अन्तर्गत धारा–331 जं0वि0अधि0 में पारित निर्णयादेश दिनांक 07–05–1993 व सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा मूल वाद संख्या–58 वर्ष 1990–91 महेशानन्द आदि बनाम रविदत्त आदि में पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 14–12–1992 के विरूद्ध इन आधारों पर कि आक्षेपित निर्णय व आज्ञप्ति अविधिक एवं उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है, कि परीक्षण न्यायालय ने बिना अपेक्षित परीक्षण किये सहायक अभिलेख अधिकारी के कथित आदेश दिनांक 24–12–1960 जो कि जाली एवं फर्जी है को विधिक एवं वास्तविक माना है, कि कथित आदेश एवं उसके लिए किया गया आवेदन एक ही तिथि के है एवं प्रतिवादी/अपीलकर्ता के पिता को उसी दिन अपनी सहमति देने का कोई अवसर नही था जबकि तनाजा संख्या–4715 में सहायक अभिलेख अधिकारी ने दिनांक 24–12–1960 को उत्तरदाता के अपने अधिकार हेतु सिविल न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र होने के दृष्टिगत उसे अस्वीकृत कर दिया था तद्नुसार विवादित भूमि पर अध्यासन का विनिश्चियन त्रुटिपूर्ण किया गया, कि परीक्षण न्यायालय ने प्रतिकूल अध्यासन सम्बन्धी विवाद्यक स्थिरीकृत नही किया न ही उसने वादी/उत्तरदातागण के 12 वर्ष की अवधि के प्रतिकूल अध्यासन का निष्कर्ष अंकित किया जिसके अभाव में वाद आज्ञप्त नही होता है, कि वादीगण/उत्तरदातागण का कोई अध्यासन वादग्रस्त भूमि पर था तो वह सहमतियुक्त था जिससे वाद आज्ञप्त नही हो सकता था एवं कि परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष साक्ष्य सम्मत नही है एवं अनुमान पर आधारित है प्रस्तुत की गई है।

इस द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

उत्तरदाता संख्या–1 व 2/वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 बावत भूमि खाता संख्या–55 में दर्ज खेत नं0–2654, 2909, 2955, 2256, 3095, 3406, 3818, 3924, 4314, 4317, 4401, 4446 स्थित मौजा कुथनौर, पट्टी बजरी, तहसील बड़कोट, जिला उत्तकाशी का स्वयं को भूमिधर घोषित किये जाने हेतु सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बड़कोट के समक्ष दिनांक 18–06–1991 को इस आधार पर योजित किया कि वे हाल बन्दोबस्त से कई साल पूर्व से एक रूपया सालाना लगान पर उक्त खेतों को खाते कमाते आ रहे है व काबिज काश्त है, कि हाल बन्दोबस्त के दौरान वादीगण ने उक्त खेतों की इन्द्राजी अपने हक में करवाने के लिए सहायक अभिलेख अधिकारी, सर्किल नं0–3 टिहरी गढ़वाल के समक्ष तनाजा प्रस्तुत किया था, कि मुताबिक आदेश ए0आर0ओ0 दिनांक 24–12–1960 के तनाजा नं0–4746 के सवालिया तकरारी खेत नम्बरान जिनका हाल नं0–4446, 2654, 2955, 2956, 3095, 3406, 3818, 3924, 3909, 3423, 4401, 4314, 4417 है वादीगण के कब्जे से होने से वर्ग–4 में इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित किये गये, कि वादीगण को उक्त खेत नम्बरान पर भूमिधीर अधिकार हासिल हो चुके है और बतौर भूमिधर खेतों को खा कमा रहे है, कि बन्दोबस्ती कर्मचारियों की कलमी भूमि की वजह से कागजात बन्दोबस्त में इन्द्राज होने से रह गये है जबकि उक्त खेतों से प्रतिवादी संख्या–1 रविदत्त का कोई लेना देना नही रह गया है एवं कि कागजात माल में प्रतिवादी संख्या–1 का नाम चले आने से वादीगण के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ने की सम्भावना होने से उक्त खेतों की इन्द्राजी अपने हक में करवाना आवश्यक है अतः तद्नुसार उक्त खेतों से प्रतिवादी संख्या–1 के नाम इन्द्राजी खारिज कर वादीगण के नाम इन्द्राज होने के आदेश पारित किये जाय।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बड़कोट ने विधिवत वाद की सुनवाई कर अपने निर्णयादेश दिनांक 14–12–1992 से वादी का वाद आज्ञप्त किया। उनके निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 14–12–1992 के विरूद्ध अपीलकर्ता रविदत्त द्वारा आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ने अपने निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 07–05–1993 से निरस्त किया। निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 07–05–1993 एवं 14–12–1992 के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे तत्कालीन मा0 सदस्य (न्यायिक) द्वारा आदेश दिनांक 08–03–1996 से स्वीकार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 07–05–1993 व 14–12–1992 अपास्त किये गये। आदेश दिनांक 08–03–1996 के विरूद्ध पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र मा0 राजस्व परिषद, इलाहाबाद में प्रस्तुत किया गया जो आदेश दिनांक 05–02–1999 से निरस्त किया गया। आदेश दिनांक 08–03–1996 एवं 05–02–1999 के विरूद्ध महेशानन्द एवं अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल नैनीताल के समक्ष रिट पिटीशन संख्या–897 वर्ष 2001 पुराना नं0–17499 वर्ष 1999 प्रस्तुत की गई जिसे मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01–09–2008 से स्वीकार कर द्वितीय

अपील इस आशय से प्रत्यावर्तित की कि इस द्वितीय अपील में आवश्यक विधि के सारवान प्रश्न विरचित कर इसका निस्तारण किया जाय।

इस द्वितीय अपील के निस्तारण हेतु विधि के निम्न सारवान प्रश्न गठित किये गये:–

1– क्या वादीगण/उत्तरदातागण के नाम की प्रविष्टि हाल बन्दोबस्त में अंकित करने के आदेश पारित किये गये है? यदि हां तो ऐसी प्रविष्टि बन्दोबस्ती कर्मचारियों की भूल से हुई है।

2– क्या उत्तरदातागण/वादीगण का विवादित भूमि पर हाल बन्दोबस्त से कई वर्ष पूर्व से अध्यासन है एवं क्या ऐसा अध्यासन मूल भूमिधर के प्रतिकूल है एवं चिरभोग के आधार पर वे विवादित भूमि के भूमिधर हो गये है?

3– क्या वाद में विबन्धन से सुविरत (estoppel and acquiescence) का सिद्धान्त लागू होता है?

4– क्या वादी का कब्जा विवादित भूमि पर सहमति के आधार पर था और सहमति के आधार पर जो भी कब्जा विवादित भूमि पर है उसके आधार पर धारा–210 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत स्वत्व प्रदान करना विधिसम्मत है?

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 09–01–2017 एवं दिनांक 21–03–2017 को सविस्तार सुना एवं उपलब्ध पत्रावलियों का भली भांति अवलोकन किया।

अपीलकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने वादग्रस्त भूमि पर वादी/उत्तरदातागण का प्रतिकूल अध्यासन मानकर वाद आज्ञप्त किया है एवं इस सम्बन्ध में वादपत्र के प्रस्तर–6 में प्रतिकूल अध्यासन का अभिवचन किया गया है एवं अपीलकर्ता/प्रतिवादी के प्रतिवाद पत्र के प्रस्तर–16 में उक्त अध्यासन सहमतियुक्त होना स्वीकार किया गया है एवं सहमतियुक्त अध्यासन से भूमिधरी अधिकार नही मिल सकते है, कि सहायक अभिलेख अधिकारी का कथित आदेश दिनांक 24–12–1960 जो कि श्रेणी वर्ग–4 में किये जाने विषयक है विरोधाभाषी है क्योंकि वर्ग–4 में अध्यासी के नाम की प्रविष्टि नही होती है, कि वादी/उत्तरदाता महेशानन्द ने स्वयं अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उसने वादग्रस्त भूमि तत्कालीन मौरूसीदार जीवानन्द पुत्र केशबू जो कि मूल अपीलकर्ता रविदत्त का पिता था से एक रूपया लगान पर ली थी तद्नुसार वादीगण/उत्तरदातागण के धारा–210 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकार कितनी ही लम्बी अवधि के अध्यासन के आधार पर नही परिपक्व होते है। ऐसी प्रविष्टि सक्षम न्यायालय के आदेश से हुई है अर्थात् यह प्रविष्टि बन्दोबस्ती कर्मचारियों की भूल से नही हुई है। दूसरी ओर वादीगण/उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जमींदारी विनाश अधिनियम/कुमाऊं एवं उत्तराखण्ड जमींदारी अधिनियम जनपद उत्तरकाशी में 30 जून, 1969 को लागू हुआ एवं सहायक अभिलेख अधिकारी, टिहरी का बन्दोबस्ती आदेश 1960 का है तद्नुसार कुमाऊं एवं उत्तराखण्ड जमींदारी

अधिनियम की धारा–8 व 10 के अन्तर्गत वादी/उत्तरदातागण के खायकर होने के आधार पर वे वर्ष 1969 में भूमिधर हो गये जिसका उल्लेख कर उचित प्रविष्टि सम्बन्धित कार्मिक/अधिकारियों द्वारा नही की गई परन्तु वादी/उत्तरदातागण के जमींदारी विनाश से पूर्व दीर्घकालीन अध्यासन के आधार पर खायकर होने के दृष्टिगत वे जमींदारी विनाश के उपरान्त वादग्रस्त भूमि में भूमिधर हो जाते है।

विधि का प्रथम सारवान प्रश्न यह है कि:–

1– क्या वादीगण/उत्तरदातागण के नाम की प्रविष्टि हाल बन्दोबस्त में अंकित करने के आदेश पारित किये गये है? यदि हां तो ऐसी प्रविष्टि बन्दोबस्ती कर्मचारियों की भूल से हुई है।

वादपत्र का प्रथम प्रस्तर इस आशय का है कि वादी/उत्तरदातागण ने वादग्रस्त 13 खेत बन्दोबस्त से कई वर्ष पूर्व में तत्कालीन मौरूसीदार से सालाना एक रूपया लगान पर लिये थे जिसके आधार पर वे इन खेतों को तब से खाते कमाते आ रहे है। उनका यह भी अभिवचन है कि हाल बन्दोबस्त में उन्होंने वादग्रस्त खेतों में अपने नाम की प्रविष्टि कराने हेतु सहायक अभिलेख अधिकारी सर्किल–3 जनपद टिहरी के समक्ष दिनांक 24–12–1960 को तनाजा संख्या–4746 के द्वारा वादग्रस्त खेतों पर उनका कब्जा होने के आधार पर वर्ग–4 में उनके नाम की प्रविष्टि किये जाने के आदेश पारित करने के लिए आवेदन किया जिसे स्वीकार किया गया परन्तु कलमी भूल की वजह से बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा उक्त इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में किये जाने से छूट गया जबकि वादी/उत्तरदातागण वादग्रस्त भूमि को तब से लगातार खा कमा रहे है। अपने उक्त अभिकथनों के समर्थन में वादी/उत्तरगण ने नकल साफ खतौनी (मुन्तखिब) हाल बन्दोबस्त ग्राम कुथनौर, प्रदर्श–क 25, प्रस्तुत किया है जिसमें वादग्रस्त भूमि का मौरूसीदार जीवानन्द बेटा केशबू मूल अपीलकर्ता का पिता अन्य खेतों के साथ है। इसके अतिरिक्त तनाजा संख्या–4746 में सहायक अभिलेख अधिकारी जिला टिहरी गढ़वाल श्री बी0पी0 नैथानी के न्यायालय द्वारा महेशानन्द, नित्यानन्द पुत्र कलीराम बनाम जीवानन्द पुत्र केशबू में पारित आदेश दिनांक 24–12–1960, प्रदर्श–क 7, की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी/उत्तरदातागण के आवेदन पत्र दिनांक 24–12–1960, प्रदर्श–क 8, कि वे वादग्रस्त खेतों के कब्जे काश्त में 16–17 साल से एक रूपया चार आना सालाना सोतर पर लगातार चले आ रहे है को स्वीकार कर उनके पक्ष में वर्ग–4 में प्रविष्टि किये जाने का आदेश पारित किया गया, की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त लगान की कच्ची रसीदें प्रदर्श–क 9 से क 23, प्रस्तुत की गई है एवं एक दिनांक 01–12–1958 की मुहर लगी पक्की डाक रसीद, अ 7/16, जिसमें विक्रम सिंह ग्राम कुथनौर को मालगुजार दर्शाया गया है भी प्रस्तुत की गई है। उक्त अभिलेखीय साक्ष्य में कथित लगान की कच्ची रसीदें, प्रदर्श–क 9 से क 23, प्रामाणिक नही है यद्यपि प्रतिवादी/अपीलकर्ता ने इसको अस्वीकार नही किया है परन्तु कागज संख्या–अ 7/16 यह अवश्य प्रदर्शित करता है कि विक्रम सिंह मालगुजार था एवं उसने स्वयं भी अपने कथन में

कहा है कि वह मालगुजार रहा है। सबसे अधिक प्रामाणिक अभिलेख वादी/उत्तरदातागण की ओर से सहायक अभिलेख अधिकारी सर्किल–3 जनपद टिहरी को सम्बोधित प्रार्थना पत्र जो कि तनाजा संख्या–4746 में पारित आदेश है जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि 13 खेतों पर मौरूसीदार जीवानन्द की सहमति से वादीगण/उत्तरदातागण का 16–17 वर्ष का कब्जा सालाना लगान लिये जाने के आधार पर वर्ग–4 में अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। यह सत्य है कि इस आदेश का अमलदरामद बन्दोबस्त के उपरान्त बनी खतौनी अथवा अन्य राजस्व अभिलेखों में नही हुआ है। यदि समय से अमलदरामद हो गया होता तो जमींदारी विनाश के फलस्वरूप हुए व्यवस्थापन (settlement) से वादी/उत्तरदातागण को उनके उक्त अध्यासन के आधार पर खायकरी अथवा सीरतानी अधिकार अवश्य प्राप्त होते परन्तु उक्त अभिलेख यह अवश्य प्रमाणित करते है कि वादी/उत्तरदातागण का वर्ष 1960 से पूर्व से वादग्रस्त खेतों पर 16–17 वर्ष से कब्जा था एवं वे इस भूमि को खा कमा रहे थे। जमींदारी विनाश का उद्देश्य भी यही था कि जो व्यक्ति भूमि पर कृषि करता है उसे उस भूमि में विधिक अधिकार प्राप्त हो चाहे वो भूमिधर के रूप में हो, अथवा सीरदार व आसामी के रूप में हो। अपीलीय ज्ञाप का संगत प्रस्तर कि एक ही दिन में आवेदन एवं आदेश पारित किया जाना उक्त आदेश की संदिग्धता प्रदर्शित करता है का जंहा तक प्रश्न है बन्दोबस्त में स्थलीय स्थिति एवं उभयपक्ष की उपस्थिति में उनकी रजामंदी के आधार पर आदेश पारित किया जाना कोई अप्रत्याशित तथ्य नही है। उक्त आदेश अभिलेखीय शुद्धि सम्बन्धी है जिसे स्वयं मौरूसीदार की उपस्थिति में उसकी संस्वीकृति से पारित किया गया है जिसके प्रतिकूल कोई अभिलेख नही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बन्दोबस्त में छोटे–छोटे विवादों हेतु स्थलीय भ्रमण अथवा जन सुनवाई हेतु सर्वसम्बन्धित से प्रतिभाग की अपेक्षा की जाती रही है एवं ऐसे भ्रमण अथवा जन सुनवाई में तत्काल आदेश पारित करने की परम्परा रही है। अभिलेख के विपरीत अपीलकर्ता/प्रतिवादी द्वारा एक आदेश सहायक अभिलेख अधिकारी, टिहरी का ही तनाजा संख्या–105 कलीराम महेशानन्द बनाम जीवानन्द में पारित दिनांक 17–01–1962, प्रदर्श–ख 1, प्रस्तुत किया है जो कि प्रार्थीगण अर्थात् अपीलकर्ता के पिता व एक अन्य के प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया है जिसके अनुसार कब्जे का सबूत न होने के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया गया है एवं सपिण्ड हकदार होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय में जाने का सुझाव दिया गया है। यह आदेश किन खेतो के सम्बन्ध में है यह स्पष्ट नही है। अतः यह नही कहा जा सकता है कि यह आदेश वादग्रस्त खेतों के सम्बन्ध में है। यदि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में यह आदेश होता तो सर्वप्रथम आदेश दिनांक 24–12–1960 को वापस लेने अथवा उलटने का आदेश पारित होता । अतः आदेश दिनांक 17–01–1962 से यह सिद्ध नही होता है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी/उत्तरदातागण को काबिजदार नही माना गया अथवा उनके पक्ष में वर्ग–4 की प्रविष्टि नही हुई। इसके अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य से वादपत्र के अभिवचनों से सिद्ध किया गया है।

विद्वान सहायक कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में विरचित वाद बिन्दु संख्या–1, 2, 3, 4 व 5 का साक्ष्यसम्मत परीक्षण, विवेचन व विश्लेषण किया है एवं उचित रूप से निष्कर्ष अंकित किया है कि सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश से वर्ग–4 में अंकित होने के आधार पर वे पहले सीरतान हो गये तत्पश्चात आसामी हो गये एवं नोटिफिकेशन संख्या–291/1–1(4) 3/73 दिनांक 19–12–1983 के द्वारा आसामियों को सीरदार घोषित कर दिया गया है जो कि विधिसम्मत है। तद्नुसार विधि का यह सारवान प्रश्न इस आशय से निर्णीत होता है कि अपीलकर्ता के पिता जीवानन्द वादग्रस्त भूमि को मौरूसीदार था एवं हाल बन्दोबस्त सहायक अभिलेख अधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा वादी/उत्तरदातागण के मौरूसीदार से लगान पर भूमि खाने कमाने के लिए लेने पर एवं उनके 16–17 वर्ष से इस भूमि पर काबिज होने के आधार पर वर्ग–4 की प्रविष्टि की गई। ऐसी प्रविष्टि सक्षम न्यायालय के आदेश से हुई है अर्थात् यह प्रविष्टि बन्दोबस्ती कर्मचारियों की भूल से नही हुई है।

विधि का दूसरा सारवान प्रश्न यह है कि:–

2– क्या उत्तरदातागण/वादीगण का विवादित भूमि पर हाल बन्दोबस्त से कई वर्ष पूर्व से अध्यासन है एवं क्या ऐसा अध्यासन मूल भूमिधर के प्रतिकूल है एवं चिरभोग के आधार पर वे विवादित भूमि के भूमिधर हो गये है?

जैसा कि पूर्व में विवेचित किया जा चुका है कि वादग्रस्त 13 खेत बन्दोबस्त से कई वर्ष पूर्व एक रूपया सालाना लगान पर वादी/उत्तरदातागण को तत्कालीन मौरूसीदार ने खाने कमाने के लिए दिये गये थे जिसकी पुष्टि मालगुजार विक्रम सिंह के बयान कागज संख्या–अ 12/1 से भी होती है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि 30–40 साल से महेशानन्द खाते कमाते आ रहे है उन्होंने रविदत्त को कभी खाते कमाते नही देखा है। वादी/उत्तरदातागण ने भी वादपत्र के अभिकथनों को अपने मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से सिद्ध किया है एवं इसी आधार पर उन्होंने बन्दोबस्त से 16–17 साल वर्ष पूर्व से वादग्रस्त खेतों को खाने कमाने एवं काबिज रहने के आधार पर सहायक अभिलेख अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के समक्ष बन्दोबस्ती अभिलेखों में कब्जा दर्ज करने हेतु आवेदन किया जिसे तनाजा संख्या–4746 में पारित आदेश दिनांक 24–12–1960 से स्वीकार किया गया। आदेश दिनांक 24–12–1960 को फर्जी अथवा गलत सिद्ध करने में अपीलकर्ता/प्रतिवादीगण पूर्णतः असफल रहे है तद्नुसार यह वाद बिन्दु इस आशय से निर्णीत किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि/खेतों पर वादी/उत्तरदातागण का कब्जा बन्दोबस्त से कई वर्ष पूर्व से रहा है एवं ऐसे अध्यासन के आधार पर वे वादग्रस्त भूमि के सर्वप्रथम खायकर अथवा सीरतान हो गये एवं जमींदारी विनाश के उपरान्त यथास्थिति सीरदार अथवा आसामी हो गये। सीरदारी एवं आसामी श्रेणी समाप्ति पर वे वादग्रस्त भूमि के भूमिधर हो गये। वे प्रतिकूल अध्यासन आधारित चिरभोग से भूमिधर नही हुए अपितु विधि के प्रवर्तन (operation of law) से सहमतियुक्त अध्यासन से कालान्तर में भूमिधर हो गये।

विधि का तीसरा सारवान प्रश्न यह है किः–

3– क्या वाद में विबन्धन से सुविरत (estoppel and acquiescence) का सिद्धान्त लागू होता है?

इस सम्बन्ध में विद्वान सहायक कलेक्टर, बड़कोट ने अपने निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 14–12–1992 के वाद बिन्दु संख्या–6 में स्पष्ट रूप से विवेचित किया है कि विबन्धन से सुविरत का सिद्धान्त वंहा लागू होता है जंहा स्थिति बदलने की बात हो। यंहा पर कोई स्थिति नही बदल रही है क्योंकि सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश पर वर्ग–4 में अभिलेखों में इन्द्राज नही हो पाया है। विवादित भूमि अपनी ही स्थिति में बनी हुई है यदि कब्जे के आधार पर बन्दोबस्त के समय अभिलेखों में इन्द्राज हेतु प्रकरण न उठाया गया होता तो स्थिति अन्य होती। वादी/उत्तरदातागण ने बन्दोबस्त के समय ही पूर्व से 16–17 वर्ष से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होने के आधार पर सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष तनाजा संख्या–4746 प्रस्तुत किया गया है जिसपर सहायक अभिलेख अधिकारी ने वर्ग–4 में इन्द्राज हेतु आदेश दिनांक 24–12–1960 पारित किया लेकिन अभिलेखों में आदेश का अमलदरामद न होने के फलस्वरूप ही घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्तर पर भी इस प्रश्न पर अपीलकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कोई तर्क नही किया है। वादीगण/उत्तरदातागण ने अपने अध्यासन का कभी परित्याग नही किया है न ही उन्होंने अपीलकर्ता/प्रतिवादी अथवा उसके पिता को वादग्रस्त भूमि का भूमिधर किसी भी स्तर अथवा समय माना है। तद्नुसार यह वाद बिन्दु इस आशय से निर्णीत होता है कि वाद पर विबन्धन से सुविरत का सिद्धान्त लागू नही होता है।

विधि का चौथा सारवान प्रश्न यह है किः–

4– क्या वादी का कब्जा विवादित भूमि पर सहमति के आधार पर था और सहमति के आधार पर जो भी कब्जा विवादित भूमि पर है उसके आधार पर धारा–210 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत स्वत्व प्रदान करना विधिसम्मत है?

वादी/उत्तरदातागण द्वारा तनाजा संख्या–4746 में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा जो फैसला दिनांक 24–12–1960 पारित किया गया है उसकी प्रमाणित प्रति अवर न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जो प्रदर्श–क 7 है जिसमें सहायक अभिलेख अधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि–आज ववक्त मुकाबला के तनाजा बावत नई इन्द्राजी कब्जे के पेश हुआ मौरूसीदार को पुकारने पर हाजिर है मौरूसीदार एक रूपया सालाना लगान लेना कबूल करता है और सायल का कब्जा होना कबूल करता है कब्जा दर्ज करवाने में रजामंद है। अतः आदेश दिया जाता है कि तनाजिया नम्बरानों पर मौरूसीदार की जैल में कब्जेदारान सायलों का कब्जा वर्ग–4 में दर्ज होकर कागजात मरोमत हो–जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी के पिता ने दिनांक 24–12–1960 से पूर्व वादी महेशानन्द, नित्यानन्द पुत्र बलीराम को एक रूपया सालाना सोतर पर दिया था यद्यपि अपीलकर्ता का कथन है कि यह आदेश फर्जी है किन्तु फर्जी होने के सम्बन्ध में कोई वास्तविक प्रमाण उनके द्वारा प्रस्तुत नही किया

गया है। वादी/उत्तरदातागण द्वारा सहायक अभिलेख अधिकारी, टिहरी के आदेश दिनांक 24–12–1960 का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में न होने के फलस्वरूप ही घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया है। तद्नुसार वादीगण/उत्तरदातागण का अध्यासन मौरूसीदार की सहमति था क्योंकि उनके द्वारा अध्यासन लगान पर प्राप्त किया गया था। इस प्रकार उनके अध्यासन को मौरूसीदार ने स्वीकार किया एवं उनके पक्ष में वर्ग–4 की प्रविष्टि सहायक अभिलेख अधिकारी, टिहरी द्वारा आदेशित की। विधि का यह सारवान प्रश्न सकारात्मक निर्णीत होते हुए भी यह स्पष्ट किया जाता है कि वादीगण/उत्तरदातागण वादग्रस्त भूमि के भूमिधर विधि के प्रवर्तन (operation of law) से जमींदारी विनाश अधिनियम एवं कुमाऊं व उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश अधिनियम के प्राविधानों से हो गये।

अपीलकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पूरा जोर वादीगण/उत्तरदातागण का प्रतिकूल अध्यासन न होने से भूमिधरी अधिकार न परिपक्व होने सम्बन्धी है जबकि वादीगण/उत्तरदातागण का प्रतिकूल अध्यासन सम्बन्धी अभिवचन है ही नही, न ही अधीनस्थ न्यायालयों से प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर उनके भूमिधरी अधिकार का निष्कर्ष अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ दो न्यायालयों द्वारा जो तथ्य सम्बन्धी समवर्ती निष्कर्ष दिये गये है वे साक्ष्य एवं विधिसम्मत है एवं उनमें कोई विपर्यस्तता नही है तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालयों के तत्समबन्धी निष्कर्षों में द्वितीय अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील अस्वीकृत होने योग्य है।

आदेश

द्वितीय अपील अस्वीकृत की जाती है। आदेश की एक–एक प्रति सहित अवर न्यायालय की पत्रावलियां वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावलियां संचित की जाए।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 31–03–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)